

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा जिला राजसमंद

पीठारीन अधिकारी :- श्रीमती विन्दू बाला राजावत आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या: 02/2025

किस्म :- प्रार्थना-पत्र

दायर दिनांक : 01.01.2025

निर्णय दिनांक : 30.10.2025

-:अनवान:-

1. किशना पुत्र हीरालाल जी जाति जाट उम्र वयस्क निवासी मालीखेडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
2. बदरी पुत्र हीरालाल जी जाति जाट उम्र वयस्क निवासी मालीखेडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
3. लहरू पुत्र हीरालाल जी जाति जाट उम्र वयस्क निवासी मालीखंडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

-प्रार्थीगण

बनाम

1. अम्बालाल पुत्र नान जी जाति जाट उम्र वयस्क निवासी मालीखेडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
2. गणेशलाल पुत्र वरदीचन्द जी जाति जाट उम्र वयस्क निवासी मालीखेडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
3. चान्दी बाई पत्नि वरदीचन्द जी जाति जाट उम्र वयस्क निवासी मालीखेडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
4. छोगालाल पुत्र वरदीचन्द जी जाति जाट उम्र वयस्क निवासी मालीखेडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
5. पृथ्वीराज पुत्र नान जी जाति जाट उम्र वयस्क निवासी मालीखेडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
6. रामलाल पुत्र नान जी जाति जाट उम्र वयस्क निवासी मालीखेडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
7. शंकरलाल पुत्र वरदीचन्द जी जाति जाट उम्र वयस्क निवासी मालीखेडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
8. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार महोदय रेलमगरा जिला राजसमन्द

.....विपक्षीगण


वास्ते,

तहसीलदार रेलमगरा

जो कि मुल ही हुक्मनामा आपके पास भेजकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी के खातेदारी की आराजी संख्या 414 रकबा 1.0926, आराजो संख्या 419 रकबा 0.5099, आराजी संख्या 420 रकबा 0.6880 भूमि ग्राम सरवड़िया खेडी पटवार हल्का राजपुरा तहसील रेलमगरा आप मौके पर जाकर उभयापक्षकारन की उपस्थिति में यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो एवं मौके पर निर्माण नहीं हो तो राजस्व रेकार्ड खाता एवं नक्शा ट्रेस अनुसार विधिवत रूप से नपती कर पत्थरगढ़ी के वक्त किसी के कब्जे में दखल नहीं करते हुये किसी प्रकार का कब्जा संपुर्द नहीं किया जावे । फिस पत्थरगढ़ी 2000/- रूपये अक्षरे. दो हजार रूपये प्रार्थी से वसुल कर राज कोष मे जमा करावे । बाद तामिल हुक्मनामा फसल कटाई के पश्चात् पत्थरगढ़ी पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करें ।

यह हुक्मनामा आज दिनांक 30.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया ।



  
(विन्दू बाला राजावत RAS)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा  
राजसमंद